Vol 6 Issue 8 Feb 2017
ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

GRT GOLDEN RESEARCH THOUGHTS

ISSN: 2231-5063
IMPACT FACTOR : 4.6052(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 8 | FEBRUARY - 2017

'' भारत में महिलाओं का राजनीतिक एवं आर्थिक विकास हेतु : एक आर्थिक सर्वेक्षण ''

डॉ.हर्षा चचाने[1] , डॉ.राजू रैदास[2]
[1]सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .
[2]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :–

सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया में चूँकि महिलाओं को राजनैतिक नेतृत्व में उचित प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी आजादी के इतने वर्षों बाद भी प्राप्त नही हो सकी है इसलिए संविधान में संशोधन कर संसद एवं विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह प्रस्ताव भी अधिकाश राजनैतिकदलों की पुरूष प्रधान मानसिकता के कारण पारित नही हो सका है।

राजनीतिक विकास क्या है? प्रसिद्ध विचारक लूसियन पाई ने जो अवधारणा विकसित की है, उसके अनुसार राजनीतिक विकास जानने के लिए हमें महिलाओं के संदर्भ में तीन तथ्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा- (१) समानता के लिए संवेदनशीलता (२)राज्य और समाज व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता, (३) राज्य व्यवस्था की इकाईयों से संबंध। उपर्युक्त आधारों पर किया जाने वाला प्रत्येक विश्लेषण महिलााओं के राजनीतिक विकास के स्तर को असंतोषजनक प्रमाणित करता है। अतः राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास तभी संभव है जब संपूर्ण देश विकास की प्रक्रिया में भाग ले। महिलायें जो देश का अर्द्धभाग है वह देश की विकास की प्रक्रिया में भाग लेना तो दूर बल्कि सदियों से उपेक्षित हैं। विश्व का इतिहास और दुनिया के प्रगतिशील देशों की राजनीतिक,सामाजिक और आर्थिक प्रगति इस बात का प्रमाण है। कि प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा घोषित अतंराष्ट्रीय महिला वर्ष एवं महिला दशक की समाप्ति तक भी भारत की संपूर्ण कार्यात्मक शक्ति में महिला कार्यकर्ता की संख्या सबसे कम है।

विश्व की आधी ताकत होने के बावजूद राजनीतिक ,सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रो में महिलाओ की भूमिका, उनकी कम भागीदारी एवं कमजोर स्थिति पर प्रश्न चिन्ह यथावत है। क्या कारण है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए कोई प्रतिबंध न होने के बाद भी वे चुनाव में बहुत कम संख्या में भाग लेती है। वह राजनीति की सर्वोच्च कुर्सी प्राप्त करने में प्रायः असमर्थ हैं। और जो भाग लेती है। सारा परिवार राजनीति में है मगर उसकी खुद की जमीन नही जहा से वह उड़ान भरकर राजनीतिक बुलंदियों को छू सकें पुरूषवादी समाज में उसे कैसे मिलेगा यह आशियाना, वह जमीन, वह आकाश जहां सब उसका हो। अब तक घर में बैठकर उसने लिस पुरूष को योग्य बनाया वह उसे देश का प्रतिनिधित्व आसानी से नही देगा? यदि ऐसा होता तो आरक्षण क्यों बनता। इस पर विचार करना होगा। समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सत्ता के समीकरणो में प्रायः अपराध,अव्यवस्था और घोर स्वार्थ की राजनीति है। भारत में महिलाओं की राजनीति है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता जानने के लिए यदि प्राचीन भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम यह पाते है कि पूर्व वैदिक युग में मातृसत्तात्मक परिवार थे। लेकिन धीरें-धीरें मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओंकी स्थिति बिगड़ती गयी। है। स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के विशेष सहयोग और प्रेरणा से महिलायें राजनीति के क्षेत्र में आगें आयी थी। स्वधीनता के पश्चात संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए है। पर उन्हे समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और महत्वपूर्ण पदों पर उनकी उपस्थिति नही के बराबर हैं और मंत्री स्तर पर तो हालात और शोचनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा वर्ष १९९५ बीजिंग में विश्व महिला सम्मेलन से पहले जारी किए गए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की संसद में महिलाओं की औसत संख्या पुरूषों के मुकाबले मात्र १० प्रतिशत है और मंत्री स्तर पर हालात तो और भी शोचनीय है। वहां उनकी संख्या औसतन ६ प्रतिशत ही रही है। राजनीतिक विकास के चार मुख्य पक्ष हैं- (१) राजनीतिक जागरूकता, (२)राजनीति में भागीदारी, (३) राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना, (४)नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करना और दिशा देना। स्थानीय शासन में अब आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक विकास के लिए मार्ग बना दिया गया है इस राह को आगे बढाने का दायित्व अब महिलाओ पर है। महिलाओं को अपने अधिकारों को वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए खुद समर्थ होना होगा । भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्रियाशीलता एवं उनके द्वारा सत्ता के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्या रूख अपनाया यह देखना होगा तथा उनके मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों एवं उनके समाधान खोजने का प्रयास करना होगा। जिससे देश का विकास हो सके ।

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक,सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक अधिनियम पारित हुए जिसमें सती प्रथा के विरूद्ध अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी अधिनियम आदि

प्रमुख है। लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा एवं परिवार कल्याण योजनाओं को सम्मिलित कर सरकारी स्तर पर कार्यान्यवयन का प्रयास भी किया गया है। महिला एंव बाल विकास विषयक, नया अध्याय छठवां पंचवर्षीय योजना मे सम्मिलित किसया गया यदि हम महिलाओं के राजनीतिक विकास एवं उनकी क्रियाशीलता के व्यवहारिक पक्ष की ओर देखे तो पाते है कि विश्व के विभिन्न देशों सहित भारत के राजनीतिक पटल के सर्वोच्च स्थान पर श्री मती इंदिरा गांधी का आसीन होना तथा

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी :-

भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसी है। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की जागरूकता एवं उसकी क्षमता में महिलाओं की पहचान राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से होनी चाहिए। जब तक विभिन्न क्षेत्रो में जैसे सामाजिक राजनीतिक,आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय मनोरंजन,साहित्य आदि के निर्णय प्रक्रियाओ का निर्माण परिपूर्ति एवं नियंत्रण के परिणाम से ही महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को सुनिश्चत नही किया जा सकता। इसी को मद्दे नजर रखते हुए भारत की विधायिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में महिला प्रतिनिधि का प्रमाण एवं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रमाण किस प्रकार हो रहा है? इसका विश्लेषण प्रस्तुत शोध निबंध में देने का प्रयास किया गया है।

राज्य में दो वर्ग होते हैं- अभिजन वर्ग और गैर अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में तथा राजनीतिक प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह वर्ग राजनीतिक गतिविधि और कार्यो में अपनी सीधी दखल रखता है। इसके साथ-साथ अभिजन वर्ग की जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं है। जैसे चुनाव में हिस्सेदारी करना, राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होना, राजनीतिक प्रचार प्रसार करना, वर्तमान में चल रही राजनीति का विश्लेषण कर अपने दल की नीतिया तय करना, आम जन समूह को राजनीतिक नीतियो की जानकारी देना तथा सरकार पर आम जनता के हितों के लिए दबाव डालना इत्यादि सभी में सक्रिय रूप में भाग लेता है। इनके अलावा संगठन संस्थाए भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अपनी दखल रखती है। और अपनी तािा जन सामान्य की समस्याओं को सरकार के सामने पृस्तुत कर उस पर निरन्तर दबाव बनाकर उसकी नीतियों को जन हितार्थ बनाने में सहायक होती है। इसी क्रम में ये संस्थाए चुनावी गतिविधियों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जैसे - किसी एक दन के प्रति अपना सर्मथन प्रदान करना इत्यादि। इसी के बिल्कुल विपरीत गैर- अभिजन वर्ग सरल भाषा में, आम नागरिक को कहा जाता है। आम नागरिक से अभिप्राय है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रू‍ से न तो सक्रिय है और न ही कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है, वरन राजनीतिक स्थितियों को अपने विवके से बदलता रहता है। अतः गैर अभिजन वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है।

विश्व की ओर देखा जाए तो एक बात ध्यान में आती है की सभी समाज में ज्यादातर पुरूष प्रधान संस्कृति का बोलबाला रहा है। मनुस्मृति जैसे महान ग्रंथ में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यतें तत्र रमंते देवता' तो दूसरी ओर स्त्री स्वातंत्रय मर्हती जैसी विसंगत वकालत कर के स्त्री स्वातंत्रय का असमर्थन किया गया है। स्त्रियों के बारे में समाज में ऐसी धारणा है कि स्त्री विवकेहीन,शारीरिक दुर्बल एवं कोमल होने से सार्वजनिक जीवन में उसका अस्तित्व नगण्य है। स्त्री का अस्तित्व चुल एवं मूल इतना ही सीमित है। ऐसी सार्वत्रिक धारणा होने से स्त्री अधिकार, स्वातंत्र,सामाजिक, प्रतिष्ठा एवं निर्माण से दूर रहने वाली एक प्रजनन यंत्र मात्र है। उपरोक्त कारणो से महिलाओं की राजनीति में सहभागिता कम ही रही है इसके अस्तित्व निर्माण के लिए २०वें दशक के पूर्वाध में जनजागृति बढने लगी।

भारतीय स्वाधीनता के पश्चात भारत में राजनीतिक विकास तीव्र गति से हुआ। शिक्षा के धीरें-धीरे बढते प्रसार से महिलाओं में जागरूकता बढी और महिलाओं में राजनीति को लेकर चेतना जागृत हुयी और उन्होने भी राजनीति में अपनी रूचि बढायी वर्तमान में महिलाओं को भी पुरूषो के समान राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त है। भारतीय संविधान में महिलाओं को अनेक सुविधाए व अधिकार दियें गयें हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।

महिलाओं के लिए डॉ.बी.आर. अम्बेडकर का कथन है कि 'भारतीय नारी श्रम से नही घबराती किन्तु आंसुओ की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार , शोषण से अवश्य डरती है।' इसमें बाबा साहब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है। और इसके लिए पुरूषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए प्रथम और मूलभूत साधन है। क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर जागरूकता,चेतना आएगी, अधिकारों की सजगता होगी, रूढियों, कुरीतियों, कुप्रथाओं का अन्धेरा छटेंगा और वैचारिक क्रांति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाए समाज में सशक्त,समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित महिलाएंन केवल स्वंय आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढियां भी लाभान्वित होती हैं शिक्षा एक ऐसी संपत्ति हैं जिसे न छीना जा सकता हैं और न ही बांटा जा सकता है। दूसरी ओर ऐसा हथियार भी है। जिसके बल पर कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है। अब चाहे वह शोषण,असमानता,अन्याय, अनाचार के विरूद्धही क्यों ना हो।

भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नही रही अपितु समय एवं काल के साथ परिवर्तन आते गयें। किसी युग में नारी को सम्मान दिया गया तो कहीं उसका अपमान, उत्पीड़न,अत्याचार एवं जुल्म ढाने की सभी हदें पार कर दी गयीं। महिलाएं समाज में अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का शिकार होती रहीं हैं, जिनमें है- कन्या वध, भ्रूणहत्या ,सती प्रथा,जौहर, डाकण प्रथा, क्रय-विक्रय वैश्यवृत्ति दास प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। आज अंतराष्ट्रीय स्तर पर सपेरा नृत्य की पहचान बनाने वाली कालबेलिया समाज की गुलाबो, जिसे कि समाज की नवजात लड़कियों को जिन्दा दफनाने को 'कन्या धर्म' मानने की कुप्रथा का शिकार होना पड़ा, को जन्म के एक घण्टे बाद ही जमीन में दफना दिया था। परन्तु उसकी मौसी ने गुलाबो को जमीन से निकाल कर पाला और उसी गुलाबों ने आज दुनियां में अपनी प्रतिभा के बल पर महिलाओं व समाज का मान बढाकर नेतृत्व प्रदान किया है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें हैं- राजकुमारी अमृतकौर,गन्नादेवी,मीरा बेन, सुचेता कृपलानी, कमला देवी, मार्गर कासिम, कमलादेवी चट्टोपध्याय,सरोजदास नाग,सुशीला जमुनाबाई, दुर्गा बाई देशमुख, कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, शान्ति घोष मीमाबाई, इन्दूमति सिंह, रानी अवन्तीबाई, रानी ईश्वरी कुमारी, मीरा पन्ना, रेशू,कुमारी मैना, लाडो रानी, कल्याणी दास, शोभा रानी आदि

भारत में महिलाओं की शासन व्यवस्था में भागीदारी :-

लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ-साथ भारत एक गणराज्य भी है । और शासन व्यवस्था का स्वरू‍ संसदात्मक है। भारतीय

शासन व्यवस्था में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो दूर की बात है, इसे कोई स्वीकारना ही नही चाहता जिसे महिला आरक्षण विधेयक स्थिति से समझा जा सकता हैं। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ०८ मार्च २०१० को संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी के लिए महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में भारी बहुमत से पारित हो गया है। यह विधेयक पिछले कई दशक से अधिक समय से लंबित था परन्तु इसको मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा में पारित होना शेष है। इस दिशा में कई बार प्रयास हुए परन्तु राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति के आभाव के चलते आज तक पारित नही हो पाया है।

भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव १९५२ में हुए। सवैंधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा कुल सदस्य संख्या ५५२ से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या ५४५ है, जिसमें दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते है। लोकसभा में प्रथम निर्वाचन से आज तक के निर्वाचानों में महिला सांसदों के निर्वाचन की स्थिति निम्नानुसार रही है :-

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	सदस्यों का प्रतिशत
१९५२	४९९	२२	४.४
१९५७	५००	२७	५.४
१९६२	५०३	३४	६.८
१९६७	५२३	३१	५.९
१९७१	५२१	२२	४.२
१९७७	५४४	१९	३.३
१९८०	५४४	३८	५.२
१९८४	५४४	४४	८.१
१९८९	५१७	२७	५.२
१९९१	५४४	.३९	७.२
१९९६	५४३	३९	७.२
१९९८	५४३	४३	७.९
१९९९	५४५	४९	८.६५
२००४	५३९	४४	८.१६
२००९	५४५	६०	११.०

भारत में लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो इसकी स्थिति अत्यंत कमजोर रही है। स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचन की शुरूआत १९५२ से लेकर अन्तिम लोकसभा चुनाव २००९ तक की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या २००९ में सार्वाधिक ६० रही अर्थात ११ प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुई जो कि न्याय संगत नही है। इसके पीछे अनेक कारण है। परन्तु महिलाओं के प्रति राजनीतिक दलों में न तो इच्छाशक्ति है और न ही वे पुरूष प्रधान की भूमिका को कम होने देना चाहते हैं। कई राजनीतिक दल तो इस कदर भयभीत हैं कि महिलाओं को टिकट देने से वे निर्वाचित होंगी और वो निर्वाचित होंगी तो पुरूषों का राजनीति से सफाया ही हो जायगा। पिछले निर्वाचनों पर दृष्टि डालें और केन्दीय सरकार में मंत्रिपरिषद में स्थान बनाने वाली महिलाओं की संख्या पर ध्यान दे ंतो पता चलता है कि इसमें भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। नारी सशक्तिकरण का आशय नारी को शक्तिशाली व सर्मथवान बनाने से है। महिलाओं के सन्दर्भ में सशक्तिकरण को सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तियों से निपटने के प्रभावी उपाय देखते हैं। महिला और समाज के विकास के लिए हमें सबके साथ की जरूरत होती है। खासकर इस प्रगति में आधी आबादी की कदमताल न रहे तो प्रगति की चमक अधूरी जान पड़ती है। सन्तुलन और समानता की दृष्टि से आज देश की प्रगति में आधी आबादी की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक नजर आती है। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकारें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही प्रयासरत है और काफी हद तक सफलता भी मिली है। इसमें कोई शक नही है कि महिलाएं समाज के आधे प्रतिनिधित्व का पूरा प्रतिबिम्ब है और इनका विकास किए बिना राज्य के विकास की किसी भी परिकल्पना को साकार रूप नही दिया जा सकता।

पहली लोकसभा के बाद महिला सांसदों में वृद्धि :-

१९५१ में पहली बार लोकसभा के २२ सांसदों ने महिलाओं की थी। मौजूदा लोकसभा ६६.५४ वर्ष और १६वीं लोकसभा के चुनाव में यह महिला सांसदों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है कि संसद के निचले सदन के लिए अपना रास्ता बना दिया। लोकसभा के दौरान १९७७ में १४वीं लोकसभा के लिए २००४ में किया गया है। १९८९ में ९वीं लोकसभा और सबसे हाल ही में प्रवृत्तियों के बाद वर्तमान लोकसभा के लिए १९९१ से एक रूप में चिन्हित है और स्थिर वृद्धि दिखा १९९१ के आंकड़ों के लिए पिछले लोकसभा में ५ प्रतिशत और २००४ को छोडकर लगातार वृद्धि दिखा। जिसका तालिका द्वारा प्रद्रशित किया जा रहा है -

महिलाओं की शिक्षा स्थिति :-

शिक्षा संपूर्ण अज्ञानता यवी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है। भारत में महिला एवं पुरूष की शिक्षा में विभेदीकरण पाया गया। लड़की को पराया धन की संज्ञा देकर उसके सभी अधिकारों का हनन हो जाता है। क्योंकि संकीर्ण विचारधारा एवं सीमित ज्ञान के कारण स्वंय महिलाएं भी ऐसा दृष्टिकोण रखती हैं और लडकियों के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। खाना,पहनावा, प्यार एवं स्नेह, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि में खुला भेदभाव आज भी देखा जा सकता है।

भारत में महिलाओं की साक्षरता स्थिति :-

शिक्षा किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर लाने के साथ-साथ मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का उपयोगी साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि एवं व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन एक महिला को शिक्षित कर दिया जाए

तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात एक महिला का शिक्षित होना उसके पूरे परिवार की शिक्षा एवं कल्याण से जुड़ा है।

महिलाओं के साथ भेदभाव के लिए निरक्षरता एक प्रमुख कारण है। सन् १९५१ की जनगणना की अनुसार केवल ८.८६ फीसदी महिलाएं ही साक्षर थी। इस दिशा में लगातार प्रगति हुई और २०११ आते-आते महिलाओं की साक्षरता दर ६५.४६ प्रतिशत तक पहुंच गयी। इसके बरक्स उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर संतोषजनक नहीं है। २०११ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर ५६.३० फीसदी आंकी गई है।

सं क्र.	वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत)
१	१९५१	८.६
२	१९६१	१५.४
३	१९७१	२२.०
४	१९८१	२९.८
५	१९९१	३९.३
६	२००१	५३.७
७	२०११	६५.४६

भारत में लिंगानुपात :–

आंकड़ो के मुताबिक ०-६ साल की उम्र के बीच प्रति एक हजार लड़को पर लड़कियों की संख्या में १९६१ से लगातार गिरावट आ रही है। भारत वर्ष १९६१ में एक हजार लड़को पर लड़कियों की संख्या ९४५ थी वहीं २००१ में यह संख्या घटकर ९२७ और २०११ में ९१८ हो गयी। उत्तर प्रदेश में प्रति १००० पर ९१२ लड़किया है, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। अन्य राज्यों में यह आकड़ा और भी भयानक है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से ही निरन्तर प्रयास कियें गये हैं। उसके लिए भारतीय संविधान में नये कानूनो का निर्माण भी किया गया है। इसके बावजूद भी यदि 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यरो' के २०१४ के आंकडों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा हिंसा की शिकार महिलाएं असम,मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उडीसा, राजस्थान, त्रिपुरा,दिल्ली, इत्यादि राज्य हैं। इन संज्ञेय अपराधों में असम १२३.४ हरियाणा ७३ मध्यप्रदेश ७९ उडीसा ७० राजस्थान ९१ पश्चिम बंगाल ८५.४ दिल्ली १६९ जो कि महिलाओं पर बढतें अत्याचार को दर्शाता है।

सुझाव :–

१.शिक्षा के माध्यम से सामान्य एवं कानूनी जागरूकता बढ़ायी जाए, जो वर्तमान समय में अतिआवश्यक है।
२.महिलाओं के संबंध में विभिन्न मुद्दो पर प्रशासन, विधायिका और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाया जाय।
३.महिलाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु समाज में सकारात्मक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों द्वारा कल्याणकारी वातावरण तैयार किया जाए।
४.सरकार को विवाह पंजीयन के नियम को सशक्त बनाना चाहिए, ताकि स्त्री उत्थान के ध्येय को मजबूत किया जाय।
५.महिलाओं को दिये जाने वाला समानता आधारित कानूनों के वास्तविक व वैधानिक अर्थो में चरितार्थ करने के लिए सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
६.महिलाओं में शिक्षा का स्तर सुदृढ़ कर दिया जाए, ताकि उसमें आत्मविश्वास पैदा हो सके तथा वह अपने विरूद्ध होने वाले हिंसा का प्रतिकार कर सके।
७.स्त्री स्वयं अपना उत्थान करे, जिससे महिलाओं में सामूहिक जागृति पैदा हो सके।
८.महिलाओं पर होने वाले अपराधों के दोशी व्यक्तिओं के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।
९.महिलाओं के हितों और समस्त नियमो, कानूनों की जानकारी हेतु समय समय पर कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं में जागृति लानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

१.भारत का संविधान – सुभाष कश्यप,
२.महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण – डॉ०अरूण कुमारी सिंह
३.नव भारत पत्रिका वर्ष २०१६
४.www.google.com/wikipedia.com

डॉ.हर्षा चचाने
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

डॉ.राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- ✶ International Scientific Journal Consortium
- ✶ OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org